## कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पत्रांक- रिंपे /11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 20 / 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन), उ०प्र० शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ।

विषय-

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2 x 660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

भारत सरकार का पत्रांक-8बी/08/38/2016/एफ.सी./79, दिनांक 13.05.2016 एवं अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-भा.स.102/14-2-2016-800(64)/2016, दिनांक 17.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वान्छित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख, मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक—125/मिर्जापुर/33,, दिनांक—16.07.2016 द्वारा इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप (टैबुलर फार्म) में प्रेषित किया है। जिसका विवरण निम्नवत है:—

Observ No.	Observation of Gol	Reply
1.	The proposal has not been submitted after analyzing other minimum three alternatives and selection of the alternative having minimum forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं। इनमे से न्यूनतम वन क्षेत्र से सम्बन्धित विकल्प का ही चयन किया गया हैं।
2.	At various places seal of different officials has not been affixed.	प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियों की मुहर लगा दी गयी हैं।
3.	The user agency is a private entity and most of the certification/undertakings have not been counter signed by the concerned district level authorities.	प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया हैं।
4.	The component wise break up of forest land requirement at B-2.4 (part-1) is incorrect.	परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट—1 के ठ. 2.4 के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु—5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 हैं जिसे तद्नुसार संशोधित कर अंकित किया गया हैं।
5.	The project proponents/user agency have authorized three directors to sign on behalf of the company whereas the papers in hard copy has been signed by the 4 <sup>th</sup> person one of the Managers. This needs clarification.	प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा०लि० के बोर्ड आफ डायरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

6.	The proposal is without relevant undertaking regarding conditions imposed by Department of Irrigation, UP Government & Central Water Commission. Ministry of Water Resources. Government of India regarding usage water from Ganga River.	द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संलग्न हैं।
7.	Form per the kml file enclosed regarding proposed forest land diversion, location of approach road cannot be deciphered.	हैं। (सी०डी० संलग्न)
8.	The kml files for proposed forest land diversion are in poly-line format rather polygon format to be amenable for GIC DSS analysis. It has been noticed that only GPS coordinated of centre line has been provided in the kml files. The forest area has been masked therefore the assessment of other ground features cannot be done.	निर्देशानुसार KML File अपलोड किया गया हैं। (सी०डी० संलग्न)
9.	As per information provided at C (ii) (b) in part I, one segment of forest patch has been mentioned whereas on the map itself many forest segments are visible.	निर्देशानुसार KML File अपलोड किया गया हैं। (सी०डी० संलग्न)
10.	The justification note uploaded at D(i) mentions requirement of forest area is 7.6308 ha whereas the proposal has been submitted for 8.3581 ha of forest land which is erroneous and misleading.	प्रस्तावक संस्था द्वारा जस्टिफिकेशन नोट में क्षेत्रफल को संशोधित कर 8.3581 हेक्टेयर अंकित कर दिया गया है तथा part-1 में अपलोड कर दिया गया हैं।
11.	Forest land gazette notification uploaded with the proposal has not been authenticated by the concerned DFO.	प्रस्ताव मे संलग्न गजट नोटिफिकेशन में जलापूर्ति बावत भूमि गत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्तावित आराजी को चिन्हित तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हैं।
12.	The site suitability certificate uploaded mentions 7.6298 ha whereas proposal is for diversion of forest land to the extent of 8.3581 ha. Even mandatory requirement of equivalent non forest land to make good loss of forest has been fulfilled. The format of site suitability certificate is not as per requisite format.	उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

1			
	13.	Toposheet uploaded for location approach road is hazy and withoutitle, index & legend.	
			हस्ताक्षरित कर संलग्न करते हुए ऑन—लाइन अपलोड कर दिया गया है।
	14.	Uploaded forest land calculation she	et प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्तातंरित
		is without details and has not bee	en लिण्ड शेंड्यूल सलग्न तथा ऑन–लाइन भी
		signed by the concerned DFO.	अपलोड किया गया हैं।
	15.	In part II, at Sr. No.5 regarding workir	The second secon
		plan prescription it is mentioned a	as 2014-15 से 2023-24 के अध्याय 1 के प्रध्व
		"No Data". Reason for providing n	o सं0—1.23 में उल्लिखित हैं कि अभिलेखों में
		data may be explained.	अंकित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमति
			कन्द्रं भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक
		1	हैं।
	16.	In part II, at Sr No.6 regardin	g भाग-2 के कम सं0-6 में अपेक्षित सूचना
		vulnerability of forest area for so	।  अपलोड कर दी गयी हैं।
		erosion, it has been mentioned tha	t
		'no soil erosion' which appears to be	2
		incorrect assessment and reason for	
		such incorrect assessment needs to submitted.	
-	17.		
	17.	In part II, at Sr No. 11(i) it has been	
		mentioned that work has been carried out in violation of FCA 1980 but the	
		details have not been provided in 11(i)	जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया हैं। अतः
		(a),(b)& (c).	11(1) ()(इ)—(ब) से सम्बन्धित सूचना षून्य हैं।
	18.	The compensatory afforestation has	शिवामक व रीकाम रे
		been proposed on equivalent non	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र र्निधारित प्रारूप में संलग्न
	j	forest land for which uploaded site	हैं।
		suitability certificate is not as per	
		appropriate format.	
	19.	The estimate for compensatory	8.3581 हे0 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राक्कलन
		Afforestation has been framed for 10	अस्ताव म सलग्न है। प्रक्लिन 1000 है। के माटल
		ha whereas the extent of CA is only	प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है ज कि 🗘
		8.3581 ha. Therefore, the same needs	00 है0 में वृक्षारोपण हेतु। 10.00 है0 क्षेत्रफल के माडल के आधार पर 8.3581 है0 गैर वनभूमि हेतु
		revision as per the proposal.	क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
2	0.	The site inspection report (uploaded)	मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक
	ļi	s without seal of the concerned DCF.	लिस्ट-25) पर मुहर लगा दी गयी हैं।
2	1. 7	he NPV calculation sheet is incorrect	एन.पी.वी. का आगणन पूर्व में 8.87 लाख प्रति हे0
		and needs revision.	का दर से किया गया था जिसको हेको क्लान त
			हिरियाली घनत्व के आधार पर 6.26 लाख पति
T + 21	T Dago	No 356	हेक्टेअर की दर से संशोधित कर दिया गया है।

22	0 110 11 0 1100 0 1 1111 1 1	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
22.	Certification & NOCs from Village level Committees under FRA 2006 needs	वन आधकार अधानयम 2006 क अन्तगत अपेक्षित/संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।
	compilation and submission of on	Order addition and a tree total
	abstract sheet shoeing relevant forest	
	area of each village.	
		क्षतिपुरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति
23.	As per the details provided, the	प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी हैं।
	progress of compensatory a	XXIII 7 3117X 27 31 731 Q1
	forestation is very low (mere 75 ha out	
	of stipulated 360 ha). Reasons may be	,
	submitted for the same.	
24.	Pages form 120 to 194 are not	प्रस्ताव में संलग्न पेज संख्या 120 से 194 प्रस्ताव से
	relevant.	अलग कर प्रस्ताव की कम संख्या संशोधित कर दी
	relevant.	गयी हैं।
25.	The proposal requires submission of	प्रस्तावक संस्था द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान
	detailed layout plan showing specific	उपलब्ध कराया गया हैं जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।
	location of each major components of	
	Thermal power plant.	
26.	Two separate enumeration lists are	यह कि प्रस्तावक संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त 296 वृक्षों
	required-	का पातन किया जाना हैं। तदनुसार प्रभावित व पातन
	(a) Total trees standing on the proposed forest land	किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान हैं।
	(b) Trees required to be felled.	
27.	Joint inspection by DFO has been done	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का
	with whom because other signature is	संयुक्त निरीक्षण, प्रस्तावित संस्था के सक्षम अधिकारी
	of Regional Office and if cannot be	के साथ किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण के मौके
	made out who is the third signatory.	पर प्रभागीय वनाधिकारी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान, मीरजापुर एवं विढ़मंफाल मौजूद थे। क्षेत्रीय
	made out who is the third signatory.	वन अधिकारी मीरजापुर एवं मिड़हान की मुहर नहीं
		लग पायी थी, जिसे अब लगा दिया गया है।
L		

उक्त पत्र की छायाप्रति सिहत समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव की एक मूल प्रति के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की मूलप्रति को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें। संलग्नक:—यथोक्त्।

> (अरविन्द गुपैतार) प्रे मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी (अउ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-

<u>/ 11-C-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।

3- श्री अनुराग चोखलानी, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा०लि०, मिर्जापुर।

( अरविन्द गुप्ता ) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ।